रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239372
CG-DL-E-06102022-239372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4507] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4507] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.अ. 4715(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना के संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इनमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में उसकी यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखंड (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् प्राधिकरण उत्तराखंड कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः-

i. श्री अमूल्य रतन सिन्हा, आईएफएस (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष
11, किशनपुर, राजपुर रोड, देहरादून 248009
amulyasinha@yahoo.co.uk

ii. डॉ चंद्र भूषण प्रसाद सदस्य
(निदेशक सह प्राचार्य), विश्व प्रौद्योगिकी संस्थान,
(भारत सरकार एमडीयू से मान्यता प्राप्त और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित)
8 किमी स्टोन, सोहना-पलवल रोड, सोहना, गुड़गांव हरियाणा -122001,
dr.chanderabhushanprasad@gmail.com

iii. निदेशक राज्य पर्यावरण, संरक्षण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखंड प्राधिकरण, उत्तराखंड — सचिव

2. प्राधिकरण, उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, उत्तराखंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, उत्तराखंड अपने विनिश्चय इस अधिसूचना द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात एसईएसी उत्तराखंड कहा गया है) की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, उत्तराखंड की सहायता करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के परामर्श से एस.ई.ए.सी का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः-

i. श्री शैलेंद्र सिंह बिष्ट, मधु वाटिका, नर्सरी रोड, श्रीनगर, गढ़वाल, पिन 246174, shalibist@yahoo.co.in — अध्यक्ष

ii. डॉ अश्विनी कुमार मिनोचा, 309, 8 सिविल लाइंस, न्यू हरद्वार रोड, निकट इंटसलैंड बैंक, रुड़की-247667, उत्तराखंड, minochaak@yahoo.com — सदस्य

iii. डॉ आशुतोष गौतम एफ-203, द कैपिटल, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून — सदस्य

iv. डॉ बासुदेव प्रसाद पुरोहित, बैंक कॉलोनी जौनपुर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, devbasul958@rediffmail.com — सदस्य

v. संयुक्त निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उत्तराखंड — सचिव

6. एस.ई.ए.सी, उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. हितों के किसी टकराव से बचने के लिए, -

(i) प्राधिकरण, उत्तराखंड और एस.ई.ए.सी, उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन से जुड़े हैं और परियोजना प्रस्तावक से भी जुडे है;

(ख) परियोजना, जो प्राधिकरण उत्तराखंड और एस.ई.ए.सी उत्तराखंड द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान अंकन की जानी है के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के साथ कोई परामर्श या सहयोगी नहीं करेंगे; और

(ii) यदि पिछले पांच वर्षों में प्राधिकरण उत्तारखंड और एस.ई.ए.सी उत्तराखंड के अध्यक्ष या कोई सदस्य, ने किसी भी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया है, उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की गई किसी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, उत्तराखंड और एस.ई.ए.सी उत्तराखंड स्वंय को दूर रखेंगे।

8. एस.ई.ए.सी, उत्तराखंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

9. एस.ई.ए.सी, उत्तराखंड सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. उत्तराखंड राज्य सरकार, प्राधिकरण उत्तराखंड और एस.ई.ए.सी, उत्तराखंड के लिए सचिवालय के रुप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

11. प्राधिकरण, उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी, उत्तराखंड के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता उत्तराखंड राज्य सरकार के सुसंगत नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा. सं. आईए3-1/2/2022-आईए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereafter in this notification referred to as the said notification), the Central Government considers it necessary or expedient so to do, hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttarakhand (hereafter in this notification referred to as the Authority, Uttarakhand) comprising of following Members, namely: -

i. Sh. Amulya Ratan Sinha, IFS (Retired) Chairman;
11, Kishanpur, Rajpur Road, Dehradun 248009,
amulyasinha@yahoo.co.uk

ii. Dr. Chandra Bhushan Prasad Member;
(Director cum Principal),
World Institute of Technology,
(Affiliated to MDU and approved by AICTE, Government of India)
8km Stone, Sohna- Palwal Road, Sohna, Gurgaon, Haryana-122001,
dr.chanderabhushanprasad@gmail.com

iii. Director, State Environment, Conservation and Climate Change Directorate, Uttarakhand Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Uttarakhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Uttarakhand shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

4. The Authority, Uttarakhand shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (hereafter in this notification referred to as the SEAC, Uttarakhand) constituted for the State of Uttarakhand by this notification.

5. To assist the Authority, Uttarakhand, the Central Government in consultation with the State Government of Uttarakhand, hereby constitutes the SEAC, Uttarakhand comprising of the following Members, namely: -

i. Shri Shailendra Singh Bist, Chairman;
Madhu Vatika, Nursery Road, Shrinagar, Garhwal, Pin-246174,
shalibist@yahoo.co.in

ii. Dr. Ashwani Kumar Minocha, Member;

309, 8 Civil Lines,

New Hardwar Road, Near Induslnd Bank, Roorkee-247667, Uttarakhand,

minochaak@yahoo.com

iii. Dr. Ashutosh Gautam, Member;

F-203, The Capital, Sahastradhara Road, Dehradun

iv. Dr. Basudev Prasad Purohit, Member;

Bank Colony Jaunpur, Kotdwar, Pauri Garhwal,

devbasu1958@rediffmail.com

v. Joint Director, State Environment, Conservation and Climate Change Directorate, Uttarakhand Member -Secretary.

6. The Chairman and Members of the SEAC, Uttarakhand shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. In order to avoid any conflict of interest, -

(i) the Chairman and Members of the Authority, Uttarakhand and SEAC, Uttarakhand-

(a) shall declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environment Impact Assessment (EIA) and Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Uttarakhand and the SEAC, Uttarakhand during their tenure; and

(ii) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Uttarakhand and SEAC, Uttarakhand have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, Uttarakhand and SEAC, Uttarakhand in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

8. The SEAC, Uttarakhand shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

9. The SEAC, Uttarakhand shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Uttarakhand shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Uttarakhand and the SEAC, Uttarakhand and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Uttarakhand and the Chairman and Members of the SEAC, Uttarakhand shall be paid in accordance with the existing rules of the State Government of Uttarakhand.

[F. No. IA3-1/2/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.06 20:55:36 +05'30'